रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231947
CG-DL-E-17122021-231947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943
No. 704] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

सं. 70/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 863(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "प्राकृतिक अभ्रक आधारित पर्ल इंडस्ट्रीयल पिगमेंट्स, कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप शीर्षक 3206 11 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/8/2020-डीजीटीआर, दिनांक 8 जून, 2021, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि -

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का भारत को किया गया आयात इसके सामान्य मूल्य से बहुत कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;

(ii) विषयगत देश से यहां विचाराधीन उत्पाद की भरमार होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 47/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2021, जिसे सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत संबद्ध वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि, हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने अंतिम निष्कर्षों में निर्यातक कंपनी का नाम "नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कंपनी लिमिटेड मटेरियल्स" से "हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड" में बदलने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया था जिसे अधिसूचना संख्या 6/8/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संशोधन अधिसूचना संख्या 6/8/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितंबर, 2021, जिसे दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है और इससे व्यवसाय की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उन्होंने अपने अंतिम निष्कर्ष 6/8/2020-डीजीटीआर, दिनांक 8 जून, 2021 में सिफारिश की है कि निर्यातक का नाम "नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कंपनी लिमिटेड मटेरियल्स", को संशोधित करके "हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कपनी लिमिटेड" कर दिया जाए;

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 47/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2021 जिसे सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (6) की प्रविष्टि में, "नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कंपनी लिमिटेड मटेरियल्स" शब्दों के स्थान पर, "हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/148/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

No. 70/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 863(E).—Whereas, in the matter of 'Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade' (hereinafter referred to as the subject goods), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) falling under tariff sub-heading 3206 11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 6/8/2020-DGTR, dated the 8th June, 2021 had come to the conclusion that –

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value, resulting in dumping;

(ii) the domestic industry had suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject country;

(iii) the material injury had been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty imports the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed the anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 47/2021-Customs (ADD), dated the 26th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 26th August, 2021;

And whereas, Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd requested the designated authority for changing the name of exporter company from "Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials" to "Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd" in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 6/8/2020-DGTR, dated the 28th September, 2021;

And whereas, the designated authority, *vide* amendment notification No. 6/8/2020-DGTR, dated the 28th September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th September, 2021, has come to the conclusion that the request falls within the category of name change only and there is no change in the basic nature of the business and recommended that the name of the exporter viz. "Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials", be amended to "Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd" in its final findings 6/8/2020-DGTR, dated the 8th June, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid amendments to final findings of the Designated Authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/2021-Customs (ADD), dated the 26th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 26th August, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in the entry in column (6), for the words "Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials", the words "Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd" shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/148/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.17 22:28:58 +05'30'